हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

ग्यारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 98

वीरवार, 19 मार्च, 2026/28 फाल्गुन, 1947(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न काल आरम्भ करने से पूर्व आज से प्रारम्भ हो रहे चैत्र नवरात्रों के प्रथम दिवस पर सबको नव-रात्रि पर्व की हार्दिक शुभ-कामनाएं दीं।

प्रश्नोत्तर

(I) **तारांकित प्रश्न**

तारांकित प्रश्न संख्याः 3698 (स्थगित) और तारांकित प्रश्न संख्या 3906 से 3912 तक के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री /संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3733 (स्थगित) पर माननीय सदस्य द्वारा अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्याः 3913 से 3945 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्न**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 1533(स्थगित) व अतारांकित प्रश्न संख्याः 1572 से 1581 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

शून्य काल

1. **माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज** ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का मुद्दा शून्य काल में उठाया जिसमें उन्होंने सदन को बताया कि सरकार द्वारा अब इस निधि का 10 प्रतिशत के बजाय 40 प्रतिशत भाग सुख आश्रय योजना में डालने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सदन के माध्यम से सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो यह सुख आश्रय योजना के लिए 40 प्रतिशत पैसा एल0ए0डी0एफ0 से ले रही है ये उसी क्षेत्र के अनाथ बच्चों पर खर्च होगा या समूचे प्रदेश पर खर्च होगा? अगर इस पैसे को समूचे प्रदेश में खर्च करने की सरकार की मंशा है तो उन्हें इसके लिए स्थानीय स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा।

   माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निश्चित तौर पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और विधान सभा सचिवालय ने इसका संज्ञान लिया है और इस सचिवालय के माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी।

2. **माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी** ने अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र के नागरिक अस्पताल, बंजार में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत किये गए चिकित्सा अधिकारियों के 14 पदों को वर्तमान सरकार द्वारा डिनोटिफाई करके 6 पदों तक सीमित किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया। उनके अनुसार चिकित्सकों की संख्या कम होने के कारण स्थानीय लोगों को 50 किलोमीटर दूर कुल्लू में अपने इलाज हेतु जाना पड़ता है जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आग्रह किया कि सरकार इस अस्पताल में पूर्व की सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए पदों को स्वीकृत करे तथा वहां पर अन्य वांछित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि लोगों का असुविधा न हो।

   माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया है। निश्चित तौर पर विभाग से कहा जाएगा कि जो भी कमियां हैं,

उन्हें जल्दी दूर किया जाए। विभाग द्वारा इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी, उससे माननीय सदस्य को भी सूचित किया जाएगा।

3. **माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा** ने हिमाचल प्रदेश में वाहनों की एंट्री टैक्स का विषय सदन में उठाया और उसमें की गई बढ़ौतरी को तर्क-संगत करने का आग्रह किया।

Hon'ble Speaker said that again a very important issue has been brought to the notice of this Hon'ble House and certainly we have taken a cognizance of it. The details which you have said in your own speech that is most genuine cause which you have ventilated through your speech. We will be asking the Government to take necessary action in this behalf. Whatever action will be taken, we will inform you accordingly.

4. **माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया** ने तीन दिन पहले उनके विधान सभा क्षेत्र के एक बी0डी0सी0 सदस्य, अनिल डडवाल, जोकि कांग्रेस पार्टी में सोशल मीडिया के राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेटर हैं, को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का मुद्दा सदन में उठाया और कहा कि यह व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा का प्रश्न है। इस समस्या के समाधान हेतु रेजिडेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगाए और दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत करके इसका कोई रास्ता निकाला जाए।

माननीय सदस्य श्री सुदर्शन बबलू ने भी माननीय सदस्य श्री राकेश कालिया द्वारा उठाई गई बात का समर्थन किया और माननीय सदन से इस मामले में संज्ञान लेने का आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शून्य काल में इस माननीय सदन के ध्यान में लाया गया है और वे समझते हैं कि अगर बेलेबल ऑफेंस में एफ0आई0आर0 दर्ज हुई है और उसके बाद अतिरिक्त सैक्शन लगाई गई है तो definitely this issue is required to be enquired into and hopefully the police will take a necessary action and the Government

will take necessary action in this behalf. And whatever action the Government takes, we will inform the Hon'ble Member accordingly.

5. **माननीय सदस्य श्री नीरज नैय्यर** ने चंबा मेडिकल कॉलेज का विषय उठाते हुए कहा कि लगभग ढाई वर्ष पहले माननीय मुख्य मंत्री ने इसकी बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 175 करोड़ रुपये दिए थे। डेढ़ साल बाद बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो गई। इक्विपमेंट के टेंडर लगे हुए हैं और फर्नीचर-फिक्सचर के टेंडर भी लगे हुए हैं लेकिन इन टेंडरों के प्रोसैस को डेढ़ साल हो गया है जोकि पूरा नहीं हुआ। इसलिए आग्रह है कि इन टेंडरों को जल्द-से-जल्द खोला जाए। अगर इस मेडिकल कॉलेज को शुरू करना है तो स्किल्ड और अनस्किल्ड कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए भी शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि शून्य काल के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में चम्बा मेडिकल कॉलेज के बारे में एक गम्भीर विषय लाया गया है। निश्चित तौर पर विभाग और माननीय मुख्य मंत्री इसका संज्ञान लेंगे और की गई कार्रवाई से माननीय सदन और सदस्य को भी अवगत करवाएंगे।

6. **श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक** ने अवगत करवाया कि एच0आर0टी0सी0 का एक पुराना टैम्पो धर्मशाला को शिफ्ट किया गया है जिसको चंद दिन पहले एयरपोर्ट से चलाया गया था। वे माननीय उप-मुख्य मंत्री से चाहते हैं कि उसकी रिपोर्ट ली जाए। अगर यह टैम्पो वर्तमान रूट पर कामयाब नहीं हो रहा है तो उसे धर्मशाला से करेरी के लिए कुठारना होते हुए चलाया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने परीक्षाओं को मध्यनज़र रखते हुए न्यू शिमला के डी0ए0वी0 स्कूल हेतु बस चलाने का भी आग्रह किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्य ने ज़ीरो आवर के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में लाया है। सरकार ने इसका संज्ञान लिया और जल्द ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी और उससे माननीय सदस्य को तथा इस माननीय सदन को विभाग सूचित करेगा ।

7. **माननीय सदस्य श्री मलेन्द्र राजन** ने सदन को अवगत करवाया कि पुलिस जिला नूरपुर में हैड कॉंस्टेबल, कॉंस्टेबल, ए0एस0आई0 आदि अलग-अलग श्रेणियों के

बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं। इसके साथ-साथ पुलिस लाइन नूरपुर में क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स अभी तक भी नहीं हो पाई हैं जिसके कारण वहां पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वे माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहते हैं कि इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि माननीय सदस्य द्वारा शून्यकाल के माध्यम से माननीय सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण विषय लाया गया है। माननीय मुख्य मंत्री और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। सरकार इस विषय के संदर्भ में जल्द ही कार्रवाई करेगी और की गई कार्रवाई से माननीय सदन के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा।

8. **कुमारी अनुराधा राणा** ने ईरान और इज़राइल के बीच जारी युद्ध की वज़ह से भारत में पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव का विषय माननीय सदन में उठाया और चाहा कि लाहौल-स्पिति में एल0पी0जी0 सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित 45 दिनों के स्पैन को घटाकर अर्बन क्षेत्रों की तर्ज पर 25 दिन किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन के ध्यान में लाया गया है। विषय की गम्भीरता को महसूस करते हुए सरकार इसके संदर्भ में उचित कदम उठाएगी तथा उठाए गए कदमों से माननीय सदन के माध्यम से माननीय सदस्या को सूचित किया जाएगा।

2. कागज़ात सभा पटल परः

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश योजना विभाग, सलाहकार (योजना), ग्रुप-ए, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः पीएलजी (ए) 3-4/2017-लूज़, दिनांक द्वारा 23.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 24.02.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग, सहायक अभियन्ता

(सिविल), वर्ग-1(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 जोकि अधिसूचना संख्याः जे0एस0वी0-ए-ए(3)-1/2023, दिनांक द्वारा 11.02.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 12.02.2026 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक अधिनियम 1971 की धारा-क (3) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(4) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री** ने बीज अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बीज एवं जैविक उत्पाद प्रमाणीकरण अभिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-2025 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखी।

(5) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) आठवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-11/2024-II, दिनांक द्वारा 15.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 17.01.2026 को प्रकाशित; और

(ii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 23ग के साथ पठित धारा-15 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन, उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नौवां संशोधन नियम, 2026, जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-बी-एफ(6)-14/2024-IV, दिनांक द्वारा 17.01.2026 को अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 19.01.2026 को प्रकाशित।

(6) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा 255 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं का वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(7) **श्री राजेश धर्माणी, नगर एवं ग्राम योजना मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम 33 के साथ पठित रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्या 16) की धारा 78 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रस्तुतीकरण एवं पारणः

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुपूरक अनुदान मांगें प्रथम एवं अन्तिम किस्त को प्रस्तुत किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर 3 में दर्शाई गई अतिरिक्त धनराशियां क्रमशः 76,71,87,36,738/- और 62,38,11,03,848/- (कुल 1,39,09,98,40,586/-) सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुई।

4. विधायी कार्यः

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना</u>

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

माननीय मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पुरःस्थापित किया।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

खण्ड-1 संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्यांक 1) पारित हुआ।

5. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चाः

दिनांक 16 फरवरी, 2026 को श्री सुरेश कुमार, सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा श्री कुलदीप सिंह राठौर, सदस्य द्वारा अनुसमर्थित निम्न प्रस्ताव पर आगे चर्चाः-

> **"इस सदन में एकत्रित सदस्य, राज्यपाल महोदय का 16 फरवरी, 2026 को उन्हें सम्बोधित करने के लिए, हृदय से आभार प्रकट करते हैं ।"**

निम्नलिखित ने चर्चा में आगे भाग लियाः-

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मंत्री

   पूर्व सरकार के समय कुछेक विधायकों के खिलाफ दर्ज की गई एफ0आई0आर0 के संदर्भ में **नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर** ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्थिति पूरे देश के किसी राज्य में आज तक नहीं हुई जब राज्यपाल महोदय को रोका गया, उनके खिलाफ स्लोगन-शाउटिंग हुई, उन्हें गाड़ी में बैठने से रोका गया। वहां पर उस समय जिस तरह की परिस्थितियां थीं, उन्हीं के दृष्टिगत कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई थी क्योंकि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है।

(**1.08 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।**)

(भोजनावकाश के उपरांत 02.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

निम्नलिखित ने चर्चा में आगे भाग लियाः-

2. श्री रणधीर शर्मा, सदस्य
3. श्री केवल सिंह पठानिया, उप मुख्य सचेतक

(02.43 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए)

4. श्री राकेश जम्वाल, सदस्य
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सदस्य
6. श्री बलबीर सिंह वर्मा, सदस्य

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने अपना विषय रखते हुए कहा कि आज इस माननीय सदन में जो सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत किया गया है, अभी तक किसी भी माननीय सदस्य को उसकी कॉपी नहीं मिली है। 40,461/- करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है और वे इस बात को लेकर हैरान हैं कि यह कुल बजट का लगभग 70 प्रतिशत बनता है जबकि आज से पहले 18 प्रतिशत से ऊपर कभी भी सप्लीमेंटरी बजट नहीं गया है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उक्त विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि the Government has taken a note of it and what he (Leader of Opposition) has said I will convey it to the Government. वैसे यह कोई मुद्दा भी नहीं है। सदन के अंदर अनुपूरक बजट पेश और पास हुआ तो यह पहली बार नहीं हुआ। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर यहां पर 30 वर्षों से बजट और अनुपूरक बजट की विधि देख रहे हैं। इनको पता है कि बजट से पहले अनुपूरक बजट आएगा। अनुपूरक बजट माननीय मुख्य मंत्री पेश करेंगे। उस पर वॉयस वोटिंग होगी। उसकी डिटेल नेवा पर ऑनलाइन उपलब्ध है। जब अनुपूरक बजट पारित हो रहा था तो ये उस वक्त कहां थे? इसलिए इन चीज़ों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।

माननीय उप-मुख्य मंत्री ने भी कहा कि जब अनुपूरक बजट पास हो रहा था तो उस समय विपक्ष को ऑब्जैक्ट करना चाहिए था कि इसकी कॉपी नहीं मिली लेकिन अब यह आफ्टर थॉट है, विपक्ष ने उस समय चर्चा में हिस्सा नहीं लिया।

(3.55 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप पठानिया जी पदासीन हुए)

(3.55 बजे अपराह्न विपक्ष के कुछेक सदस्य सदन से बाहर चले गए।)
(3.57 बजे अपराह्न विपक्ष के माननीय सदस्य सदन में वापिस आए।)

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

"अब जो आपत्ति माननीय नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह सप्लीमेंट्री बजट आपके ई-मॉड्यूल और NeVA पर उपलब्ध है। आज सुबह जब यह अनुपूरक बजट पास हो रहा था तो मैंने बीच में समय दिया, पॉज़ दिया और पूछा कि क्या कोई सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहता है। मैं कुछ सेकंड रुका, फिर मैंने कहा कि nobody wants to take part in the discussion. उसके बाद ही यह अनुपूरक बजट पास हुआ। All the objections that have been raised by the Hon'ble Leader of the Opposition are baseless. However when the Supplementary Demand was being passed as referred by the Hon'ble Deputy Chief Minister; at that particular point of time none of the Members of the Opposition stood on their seats nor objected to any of the Demands and any of the Motions which were being discussed and passed in the House. So this is uncalled for, baseless and hereby rejected."

7. श्री विनोद सुल्तानपुरी, सदस्य
8. डॉ0 हंस राज, सदस्य
9. श्री हरदीप सिंह बाबा, सदस्य

माननीय मुख्य मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर द्वारा अनुपूरक बजट के संबंध में उठाई गई आपत्तियों पर स्पष्टीकरण दिया।

(5.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

(5.19 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री आशीष बुटेल पदासीन हुए)

10. श्री लोकेन्दर कुमार, सदस्य

माननीय कृषि मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

11. श्री विवेक शर्मा, सदस्य
12. डॉ0 जनक राज, सदस्य

माननीय कृषि मंत्री ने माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में किये गए विद्युतीकरण और प्राकृतिक खेती के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया।

13. कैप्टन रणजीत सिंह राणा, सदस्य

माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, वह सत्य पर आधारित नहीं है। इनके यहां दो-दो डिवीजन जल शक्ति विभाग और विद्युत विभाग के दिए गए। इसके अलावा इनके चुनाव क्षेत्र में करोड़ों रुपये के काम जल शक्ति, लोक निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत किए गए।

माननीय राजस्व मंत्री ने माननीय सदस्य के भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि हर बिन्दु पर कटाक्ष व इंटरवीन करना उचित नहीं है इससे बोलने का सिस्टम अव्यवस्थित हो जाएगा।

14. श्री इन्द्र सिंह, सदस्य

(6.30 बजे अपराह्न सदन की बैठक 6.45 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई।)

6.45 बजे अपराह्न सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

*****